आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 150/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडौदा शाखा दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) मैसर्स विदिशा एन्टरप्राईजेज प्रो॰ श्री विकास खडेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र खण्डेलवाल (ऋणी)
(अ) ए–56, बगरना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बी एस एन एल ट्रेनिंग सेन्टर के सामने रोड नं॰ 14, वी के आई ए एरिया, जयपुर,
(ब) ए–15, गोविन्द देव कालोनी ,चौगान स्टेडियम के पीछे, गणगोरी बाजार,, जयपुर,
(स) आफिस नं॰ 6 प्रथम तल, प्लाट नं॰ 14, ट्यूलीप एन्क्लेव, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री संजय सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांकः 14.09.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.04.2018 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी नितिन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार खण्डेलवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति स्टोर नं॰ 26, बेसमेन्ट, वृन्द्रावन अपार्टमेन्ट स्थित प्लाट नं॰ 13 सेन्ट्रल स्पाईल विद्याधर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 234.40 वर्गफिट को बन्धक कर ऋण खाता केश केडिट में 80,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी 01 ने जरिये अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड के दिनांक 25.08.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आगामी तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया है। न्यायहित में अप्रार्थी को अवसर दिया गया ।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ऋणी के अधिवक्ता ने पुनः अवसर चाहते हुये तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया है। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन कमांक एस ओ 2831 (एफ) दिनांक 01.09.2016 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को धारा 14 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने की समय सीमा 30 दिवस निर्धारित की गई है, इसलिए अप्रार्थी ऋणी को ज्यादा अवसर नहीं दिये जा सकते। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 80,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन॰पी॰ए॰ घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 83,32,670/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी नितिन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र खण्डेलवाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति स्टोर नं॰ 26, बेसमेन्ट, वृन्द्रावन अपार्टमेन्ट स्थित प्लाट नं॰ 13 सेन्ट्रल स्पाईल विद्याद्यर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 234.40 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धितं अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 14.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर